<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद</u> ।

दण्डवाद सं0–252/2018

राज्य बनाम. यामीन आदि।

<u>आरोप</u>

मैं प्रीति मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आप अभियुक्तगण यामीन, सलीम व सुभाष जाटव पर निम्नलिखित आरोप से विरचित करती हूँ :–

01– यह कि दिनांक 16.11.17 को रात्रि 02.00बजे स्थान नगलिया नारायण, थाना–ठाकुरद्वारा जिला–मुरादाबाद में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के घर में संदूक को तोड़कर एक जोड़ी कुण्डल चांदी व एक गले का पैडिल चांदी, एक गुच्छा चांदी, नाक की वाली सोने की तथा करीब 25000/–रूपये चोरी किए। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सॅ0 की धारा–380 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02–यह कि उपरोक्त दिनांक व समय को उक्त चोरी किये गये सामान तथा रूपये पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके कब्जे से बरामद हुए। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0ंद0सं0 की धारा–411 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि उपरोक्त दिनांक व समय को उक्त चोरी कर गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा.दं.सं. की धारा–457 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्द्वारा निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप पर आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांकः 01.11.19

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजि0
ठाकुरद्वारा।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण चाहा ।

दिनांकः 01.11.19

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजि0
ठाकुरद्वारा।